

यूपी जनसंख्या विधेयक का ड्राफ्ट तैयार, 2 से अधिक बच्चे वालों की सुविधाओं में कटौती, ये है मसौदा

उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए और प्रदेश जनता को सभी प्रकार की सेवा सुविधा प्रदान करने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून (Uttar Pradesh Population Control Stabilization and Welfare Bill 2021 Download) बना रही है। वर्तमान समय में प्रदेश की कुल आबादी की बात की जाय तो यह लगभग 22 करोड़ तक होने वाली से। जो आने वाले समय में जनसंख्या का बहुत बड़ा विस्फोटक बनने की और तेजी से बढ़ रहा है। जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समाधान निकालने हेतु। **यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून 2021** लागू करने की घोषण की है।

Uttar Pradesh Population Control Act PDF मुख्यमंत्री योगी जी की घोषण करने के बाद उप्र जनसंख्या कानून पर तेजी से काम किया गया। जिसे वर्ष 2022 के लोक सभा चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में लागू किया जायेगा। खबरों की माने तो यूपी में जनसंख्या कानून 13 जुलाई 2021 को लाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक (**UP Population Control Act 2021**) डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें।

उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून 2021 क्या है ?

तेजी से बढ़ती हुयी जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण लागू किया है। इस कानून के तहत हम दो हमारे दो (**UP Two Child Policy 2021 PDF**) जनसंख्या नियंत्रण कानून फॉर्म्युला को अपना गया है। साथ ही दो बच्चों से अधिक बच्चे पैदा करने पर कानून कारवाही की जाएगी। और राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सरकारी सेवाओं और अन्य प्रकार की सुविधाओं का लाभ समाप्त किया जायेगा। विस्फोटक जनसंख्या होने के कारण, संसाधनों में काफी कमी हो जायेगी। जिससे समाज में अराजकता, बेरोजगार, भुखमरी, बीमारी, जैसे अन्य समाजिक असन्तुल बढ़ जायेगा। जिसे समय की परिस्थित को देखते हुये। इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा **जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू** किया जा रहा है। ताकि समाज के सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार सेवा – सुविधा और संसाधनों का लाभ प्रदान किया जा सके।

राज्य विधि आयोग द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। जिसके लिए **State Law Commission Draft** बनाने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। इस कानून के तहत परिवार नियोजन को अपनाने वाले परिवारों को अहम भागीदारी दी जाएगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली सरकारी सेवाओं, योजना, नौकरी जैसे अन्य

प्रक्रियाओं में दो बच्चे वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अधिक बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को कई प्रकार की सरकारी सेवा-सुविधा से बहाल किया जायेगा।

- BPL परिवार में 1 बच्चे के बाद नसबन्दी को अपनाते हैं। तो 80 हजार रुपए का नगद वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी।
- इसके साथ ही बच्चे की पूरी पढ़ाई का खर्चा अन्य सुविधा प्रदान की जाएगी।
- उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट/एक्ट अधिनियम UP Population Control Stabilization and Welfare Act 2021 के नाम से बनाया जायेगा।
- सरकारी योजनाओं मिलने वाला आरक्षण व स्कीम का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- चार सदस्य वाले राशन कार्ड पर ही सरकारी फ्री राशन दी जाएगी।
- पंचायती एवं स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।
- सरकारी नौकरियों में आरक्षण व आवेदन की पात्रता समाप्त हो जाएगी।
- 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश प्रदान किया जायेगा।
- कर्मचारी को मुफ्त स्वास्थ्य, जीवनसाथी बीमा पॉलिसी मिलेगी।
- एक बच्चे वाले कर्मचारी को चार अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी।

यूपी जनसंख्या नियंत्रण नीति 2021

Uttar Pradesh Jansnkhya Niyantn kanun Biil (यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल/विधेयक) का पूरा नाम उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक है। जिसके लिए विधि आयोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण 2 बच्चों के परिवार की नई नीति जल्द ही प्रदेश में लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 ड्राफ्ट के अनुसार 2 बच्चों से अधिक वाले परिवारों को सरकारी नौकरी में आरक्षण समाप्त, स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक, व सरकारी योजनाओं का भी लाभ बंद करने का जिक्र है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल 11 जुलाई 2021 विश्व जनसंख्या दिवस को लागू किया जा सकता है।

यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून के लाभ –

- इस कानून से समाज में लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की आपूर्ति आसानी से की जा सकती है।
- विस्फोटक जनसंख्या होने से बचा जा सकता है।
- समाज की मूल -भुत सुविधा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोट्टी (खाना) सभी लोगों को दिया जा सकता है।

- समाज में महिला -पुरुष (लड़की-लड़का) भेद भाव में कमी आएगी।
- आम नागरिक तक सरकारी सुविधा का लाभ पहुँचेगा।
- संसाधनों की बचत होगी। जिससे महगांथी जैसे समस्या में बहुत बड़ा योगदान होगा।
- गरीबी में कमी आएगी। लोग सम्पन्न होंगे।
- समाज में जातिवाद, धार्मिक भेद -भाव में कमी होगी।

विस्फोटक जनसंख्या के नुकसान

- Uttar Pradesh Jansnkhya Niyantn kanun Biil PDF अधिक Population होने के अनेक प्रकार की हानियाँ हैं। जिनमें से कुछ निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में हैं –
- प्रदेश में बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ रही है।
- आने वाले समय में प्रदेश में बहुत से लोगों गरीबी का सामना करना पड़ेगा।
- आज समाज में प्रदूषण प्रदूषण एक मुख्य कारण है। जिससे अनेक संसाधनों पर प्रभाव पड़ रहा है।
- अधिक जनसंख्या होने से सिमित संसाधनों का आभाव होगा। जिससे समाजिक सन्तुल प्रभावित होगा।
- अधिक जनसंख्या होने से आपराधिक मामलों में वृद्धि होगी। और समाज में अराजकता का माहौल तेजी से बढ़ेगा। जो मानव जाति के साथ -साथ अन्य जगत के लिए भी बुरा होगा।
- इस प्रकार से अधिक जनसंख्या होने के अनेक प्रकार की हानियाँ हैं। जो आने वाले समय के लिए प्रतिकूल हैं।

उप्र जनसंख्या नियंत्रण बिल 2021 जुर्माना

जनसंख्या नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने पर सरकार द्वारा जुर्माना एवं अन्य सरकारी प्रक्रियाओं से बहाल किया जायेगा –

प्रस्तावित कानून के अनुसार, यदि राज्य सरकार के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा कानून की अवमाना किया गया तो। उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सजा, दण्ड एवं तत्काल नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। साथ ही, आपको भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने से वंचित कर दिया जाएगा।

